भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं॰ 5255
दिनांक 25.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में जल संदूषण

5255. श्री चन्द्रेश्वर प्रसादः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार के कतिपय जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आर्सेनिक तथा फ्लोराइड युक्त संदूषित पाया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसे संदूषित जल को पीने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और
(घ) स्वच्छ पेयजल प्रदान करने तथा इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा कौन-सी योजना पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर
राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) जी हाँ, इस मंत्रालय की प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर बिहार, सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की जिलावार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ग) फ्लोरोसिस एक जन स्वास्थ्य समस्या है जो पेयजल/ खाद्य उत्पादों/ औद्योगिक प्रदूषकों के जरिए फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा शरीर के अन्दर लम्बी अवधि तक जाते रहने से होती है। इसके कारण डेन्टल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस और नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस जैसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं। आर्सेनिक कैंसर कारक तत्व है जो त्वचा, फेफड़ा, मूत्राशय, किडनी और लिवर कैंसर का कारण माना जाता है। आर्सेनिक की वजह से त्वचा संबंधी, विकासात्मक, तंत्रिका संबंधी, श्वास संबंधी, हृदय संबंधी, शरीर प्रतिरोधक क्षमता संबंधी और अंतःस्रावी संबंधी प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं।

(घ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें ही स्कीमों की आयोजना, डिजाइनिंग, अनुमोदन, कार्यान्वयन और प्रचालन व रख-रखाव करती हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त निधियों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों सहित जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में स्कीमों को चलाने के लिए किया जा सकता है।

मार्च, 2016 के दौरान, नीति आयोग की सिफारिश से, विभिन्न आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना के लिए 1000 रुपए की राशि जारी की गई थी। 22.83 करोड़ रुपए की राशि बिहार को प्रदान की गई थी।

इसके अलावा, मंत्रालय ने 22 मार्च, 2017 को देश में 27,544 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) की शुरूआत की थी। बिहार को अब तक 171.96 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा, राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधियों के 5% तक का उपयोग सहायता कार्यकलाप के लिए भी कर सकते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) भी शामिल है।

अनुलग्नक

दिनांक2 507.2019. को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5255 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

बिहार में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों की जिलावार संक्या

क्र.सं.	जिला	फ्लोराइड प्रभावित बसावटें	आर्सेनिक प्रभावित बसावटें
1	अररिया	3	0
2	अरवल	0	0
3	औरंगाबाद	29	0
4	बांका	312	0
5	बेगुसराय	0	222
6	भागलपुर	0	96
7	भोजपुर	0	0
8	बक्सर	0	9
9	दरभंगा	0	11
10	गया	8	0
11	गोपालगंज	0	0
12	जमुई	32	0
13	जहानाबाद	0	0
14	कैमूर (भभुआ)	12	0
15	कटिहार	0	1
16	खगड़िया	0	40
17	किशनगंज	0	0
18	लखीसराय	0	50
19	मधेपुरा	0	0
20	मधुबनी	0	0
21	मुंगेर	52	147
22	मुजफ्फरपुर	0	0
23	नालंदा	5	0
24	नवादा	16	0
25	पश्चिम चंपारण	0	0
26	पटना	0	0
27	पूर्वी चंपारण	0	0
28	पुर्णिया	0	0
29	रोहतास	123	0
30	सहरसा	0	0
31	समस्तीपुर	0	35
32	सारन	0	0
33	शेखपुरा	113	0
34	शिवहर	0	0
35	सीतामढ़ी	0	0
36	सिवान	0	0
37	सुपौल	0	0
38	वैशाली	0	193
कुल		**705**	**804**

स्रोतः आईएमआईएस, डीडीडब्ल्यूएस